

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-24 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-:

01. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अनिल चौहान पुत्र शुभावन नि० नतौरी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-200/20, 02. निर्मला पत्नी रमेश नि० नतौरी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-201/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. माया राम पुत्र पितई नि० रानीजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-301/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01.सुरेन्द्र यादव पुत्र बैजनाथ यादव नि० चकरसूल थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-227/20, 02. विष्णु पुत्र हुसैनी सोनकर नि० हजियापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-228/20, 03. विजय यादव पुत्र विशेषर यादव नि० चकरसूल नि० नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-229/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लतफि अहमद पुत्र पीर मोहम्मद नि० पठान टोला वार्ड नं० 06 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-190/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. आरती पत्नी देवराज नि० पंच पुरवा मौजा पूरे महा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-249/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 02. वरसाती वरुवार पुत्र स्व० राम प्रकाश नि० वैश्य पुरवा मौजा डेबरी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-250/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. केशव प्रसाद उर्फ छोटू लोध पुत्र सीता राम लोध नि० सिधइमान पुरवा मौजा मरचोर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-223/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अशोक कुमार पुत्र साहब राम नि० गोड़ियन पुरवा मौजा गंगरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-117/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रमेश पुत्र राम तीरथ नि० उजार पुरवा मौजा लक्ष्मणपुर लाल नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-298/20, 02. राज कुमार पुत्र छोटे राम नि० उजार पुरवा मौजा

लक्ष्मणपुर लाल नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-299/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दीनानाथ पुत्र गनेशी सोनकर नि0 परशरापुर मौजा पिपरा भितौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-213/20, 02. राजम पुजारी पुत्र नरेन्द्र सोनकर नि0 खटिकन पुरवा सिहा गाँव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-215/60, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम सोनकर पुत्र राम लाल नि0 करियापुरवा जानकी नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-612/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

11. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनोज सोनकर पुत्र संतराम सोनकर नि0 खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-341/20, 02. भोलू पुत्र जगदीश सोनकर नि0 खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-342/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने गस्त के दौरान 02 अभियुक्तों-01. मो0 इमरान पुत्र मो0 सुहेल नि0 रूद्रगण नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 02. अरमान अली पुत्र अब्बास अली नि0 रूद्रगण नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना इटियाथोक में अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0-300/20, 301/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने गस्त के दौरान अभियुक्त शुभम तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी पुत्र राम कृपाल तिवारी नि0 टेपरा राजापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को 01 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-611/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनूप यादव पुत्र राम जियावन नि0 रानीपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-507/20, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 316/2018, धारा 380.457.411 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 327/2018, धारा 380.457.411 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0- 342/2018, धारा 401 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राजकरन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में थाना कोठनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बसस्टाप गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 बृजानन्द सिंह।
02. का0 रामदास।
03. का0 संजय।
04. का0 सतवंत।

